तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/2022	उपस्थितः–	

श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 153/2021 बउनवान रामबक्स बनाम पारसमल में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जैतारण तहसील जैतारण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के दादा व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के ससुर मुकनाराम की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 21.12 बीघा आई हुई है। अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि को बेचान, हस्तांतरण करने पर आमादा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 अपीलाण्ट के जायज पुत्र व विवाहित पत्नी नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रामबक्श व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 समुदेवी निवासी देवातड़ा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर के निवासी है। जिनके आधार कार्ड, पहचान कार्ड व राशन कार्ड देवातड़ा भोपालगढ जिला जोधपुर के बने है। जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व पति का नाम कानाराम बावरी है। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट की विवाहित पत्नी व जायज पुत्र नहीं है। और अपीलाण्ट की उक्त कृषि भूमि को हडपने हेतु फर्जी व कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर उक्त भूमि को हड़पने हेतु प्रयासरत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2021 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया।

हस्तगत अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of doucments on which the applicant relies, and

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि "3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक 26.08.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 06.10.2021 तक पत्रावली में तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण नहीं करने के कारण पत्रावली की आदेशिका में अंकित नही है। लम्बी अवधि तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं होने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 153/2021 बउनवान रामबक्श बनाम पारसमल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.08.2021 को अपास्त किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	